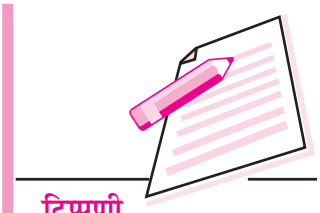

टिप्पणी

21

समावेशन : अवधारणा एवं मान्यताएँ

भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और अवसरों की समानता का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन ने छः से चौदह आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूल अधिकार के रूप में नि:शुल्क, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता को दोहराया है। 93वें भारतीय संविधान-संशोधन के बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर छः से चौदह आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक मानवाधिकार बना दिया। इन्हें शिक्षा के अन्तर्गत लाने की जरूरत है। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की नीति, 2013 बल देती है कि "सभी बच्चों के समग्र विकास हेतु प्रसवपूर्व अवधि से लेकर छः वर्ष की आयु तक के सातत्य में एकीकृत सेवाएँ प्रदान की जाए। इस प्रकार देखभाल एवं प्रारंभिक अधिगम पर ध्यान देते हुए बच्चे की उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास के लिए ठोस आधार सुनिश्चित करती है।" (पृष्ठ. 1)

विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियाँ सामान्य शिक्षा प्रणाली में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा की निर्विलम्ब आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। वे बल देते हैं कि दिव्यांगता वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ सामान्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न भाग होनी चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा की नीति, 1986 के सन्दर्भ में है जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की जरूरत को स्पष्ट करती है। यह इन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षकों के लिए पूर्व-सेवा प्रशिक्षण तथा सेवारत शिक्षकों के उन्मुखीकरण पर ध्यान आकर्षित करती है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रावधान, गम्भीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रोत्साहन पर प्रकाश डालती है। यह शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति तथा सामान्य बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चों की गुणवतापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हेतु विभन्न रणनीतियों और विभिन्न योजनाओं का सुझाव देती है। सरकार ने भी दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस पाठ में आप समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व तथा कक्षाकक्षीय अभ्यासों में इसके निहितार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे।

टिप्पणी

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- समावेशन को परिभाषित करते हैं;
- समावेशी शिक्षा के महत्व की व्याख्या करते हैं;
- समावेशी कक्षा में अपनायी जा सकने वाली रणनीतियों की सूची बनाते हैं;
- समावेशन सम्बन्धी सरकारी नीतियों और कानूनों का वर्णन करते हैं; और
- समावेशन को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक, माता-पिता एवं समुदाय की भूमिका पर चर्चा करते हैं।

21.1 समावेशी शिक्षा : अवधारणा एवं महत्व

समावेशी शिक्षा विद्यालय में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी बच्चों की सहभागिता में वृद्धि की प्रक्रिया है। सलामाका वक्तव्य और विशिष्ट आवश्यकताओं की शिक्षा हेतु कार्य हेतु रूपरेखा (Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education) ने समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का समर्थन किया है। भारत ऐसे समस्त कथनों का हस्ताक्षरकर्ता है और इसने समावेशी शिक्षा के सम्प्रत्यय का समर्थन किया है। कथन सभी सरकारों से समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त को कानून या नीति के रूप में अपनाने का निवेदन करता है और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सामान्य विद्यालयों में अनिवार्य पहुँच पर बल देता है।

यह समावेशन की पुष्टि करता है जो सभी बच्चों को समतामूलक और प्रभावी शिक्षा प्रदान करने की ओर संकेत करता है। यह मौजूदा नियमित विद्यालय प्रणाली में एक अधिगमकर्ता के रूप में बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है चाहे कोई भी हो–

- नस्ल
- वर्ग
- नृजातीयता
- धार्मिक विश्वास
- वंचित एवं हाशिए पर जो समूह हैं उनसे आने वाले बच्चे
- दूर-दराज एवं खानाबदोश जनसंख्या के बच्चे
- भाषा
- लिंग
- भौगोलिक स्थिति

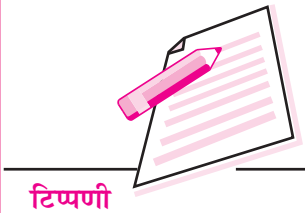

टिप्पणी

- संस्कृति
- दिव्यांगता

समावेशन सामान्य शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यापक एवं सभी बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति सहयोगात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक बनाकर इसके पुनर्निमाण एवं समृद्धिकरण को आवश्यक बनाता है। समावेशी शिक्षा एवं सुनिश्चित करती है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित विद्यालयों में विद्यालयी प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाओं के सहित उनकी आयु और स्तर के साथियों के साथ पढ़ाया जाए। इस प्रकार यह सामान्य पाठ्यक्रम में सभी बच्चों की आवश्यकताओं और अधिगम शैलियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को दर्शाता है। इसका तात्पर्य है कि नियमित विद्यालयों में उपयुक्त सहायता तन्त्र के साथ सभी अधिगमकर्ता एक साथ सीखने में समर्थ हैं। यह मान्यता है कि सभी बच्चे समाज के मूल्यवान सदस्य हैं चाहे उनमें जो भी अन्तर या विविधताएं हों। इसके अतिरिक्त सभी बच्चों की अपनी अनोखी विशेषताओं, रुचियों, योग्यताओं और अधिगम आवश्यकताओं सहित मौजूदा शिक्षा प्रणाली में एक साथ होना उनके मानवाधिकारों का विषय है। अत: ऐसी शिक्षा-प्रणाली और कार्यक्रम तैयार किए जाने की जरूरत है जिससे कि सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताएँ पूरी हों तथा उनकी विविधता को सम्मान मिले।

समावेशन में बच्चों की दिव्यांगताओं के स्थान पर उनकी योग्यताओं पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है और यह सभी अधिगमकर्ताओं के अनुरूप शिक्षा-प्रणाली को संशोधित करता है। यह विद्यालयी प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर समावेशी नीति, समावेशी संस्कृति और समावेशी तौर-तरीके निर्मित करने के बारे में है। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने की विद्यालयों की क्षमता को विकसित करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षण और अधिगम के परम्परागत उपागम से नवीन उपगम में रूपान्तरण को इंगित करता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है। इसके लिए जरूरी है कि हम शिक्षण में विविधता को महत्व दें और इसकी सहायता हेतु शिक्षण उपागमों को अपनाएं।

21.1.1 समावेशी शिक्षा के लाभ

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ निम्नलिखित हैं–

- सामान्य विद्यालयों में समान शैक्षिक अवसरों के बाल-अधिकार को सुनिश्चित करना।
- अन्तर्क्रिया के अवसर प्रदान करना जो कि पृथक्कृत व्यवस्था में सम्भव नहीं है।
- प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक सामर्थ्य को अधिकतम बनाना।
- बच्चों को उनके साथियों के साथ अधिगम के साथ ही साथ उनके अपने अधिगम में सक्रिय रूप से सम्मिलित करना।
- अधिगम तथा शिक्षण कार्यक्रम की व्यापक श्रृंखला प्रदान करना जो सभी बच्चों को सहभागिता, अधिगम तथा सफलता के अनुभव के लिये प्रोत्साहित करे।

- कहीं कोई भेदभाव नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिये बच्चों और शिक्षकों को संवेदनशील बनना।
- कक्षा में बच्चों की योग्यता तथा रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों समेत सभी बच्चों के उपयुक्त व्यवहार/आचरण को सुनिश्चित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को महत्व दिया जाना चाहिए।
- समावेशन के क्रियान्वयन हेतु सभी भागीदारों जैसे कि अभिभावक, समुदाय तथा स्वयंसेवी समूहों के संघटन एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।

पाठगत प्रश्न 21.1

नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य लिखिए–

(क) सभी शिक्षण कार्यक्रम सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार किये जाने चाहिए।

(ख) समावेशी शिक्षा सभी बच्चों की सहायता के लिये विद्यालयों को सक्षम बनाने के विषय में है।

(ग) समावेशी शिक्षा के लिये शिक्षण की पारम्परिक विधि की संस्तुति की जाती है।

(घ) समावेशी शिक्षा सभी नामांकित बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है।

(ङ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये केवल आयु के अनुरूप लक्ष्य ही लागु होते हैं।

अभ्यास के अन्तर्गत विभेदित अनुदेशन

गत्यात्मक क्षेत्र में विशेष आवश्कताओं वाला बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में जो कि जटिल चित्र बनाने में सक्षम होते हैं। कठिनाई से एक अकेली रेखा खींचने में समर्थ होता है यदि सभी बच्चों को प्रगति करनी है तो इन बच्चों में से प्रत्येक पर उनके अपने स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रकार के वातावरण में वृहद् क्षमता के निर्माण हेतु शिक्षक को बच्चों की उनकी सामर्थ्य और कमजोरियों के अनुसार सहायता करने की जरूरत है। प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं के अनुरूप शिक्षक कार्य को तदनुसार संशोधित कर सकता है। ये अन्तर्क्रियाएँ और संशोधन बच्चे एवं शिक्षक के मध्य चल रहे विश्वासपूर्ण सम्बन्धों का हिस्सा होना चाहिए।

21.2 समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ

अब प्रश्न उठता है कि कक्षाकक्ष में सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर किस प्रकार ध्यान दिया जाये? एक ही कक्षा में हम सभी बच्चों को सीखने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? अनुसंधानकर्ताओं ने संकेत किया है कि एक समावेशी कक्षा में बच्चों के अधिगम हेतु नवचारिक शिक्षण रणनीतियाँ अधिक लाभदायक हैं। शिक्षण और आकलन की विधियों में बदलाव समावेशी कक्षाओं की आवश्यकता है।

कक्षाकक्ष में निम्नलिखित रणनीतियों के अनुसरण द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। ये हैं :

1. विभेदिन अनुदेशन
2. सहकारी शिक्षण अधिगम नीतियाँ
3. सहयोगात्मक अधिगम

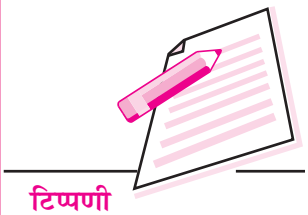

टिप्पणी

4. साथी शिक्षण

5. आकलन

21.2.1 विभेदित अनुदेशन

यह छोटे बच्चों के लिये व्यक्तिगत योजना तथा शिक्षण रणनीतियों से सम्बन्धित सम्प्रत्यय है। यह प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुभव तथा वातावरण प्रदान करने की ओर संकेत करता है। प्री-स्कूल का शिक्षक यह महसूस करता है कि दो बच्चे एक गति अथवा एक ढंग से नहीं सीखते। कुछ को बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है जबकि अन्य तत्काल सीख सकते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे नवीन सामग्री को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं जबकि कुछ उसे धीरे से स्वीकार करते हैं। कुछ बच्चे पढ़कर सीखते हैं जबकि कुछ अन्य सुनकर या दृश्य सामग्री द्वारा सीखते हैं। ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें लेखन में समस्या हो जबकि अन्य जटिल विचारों को समझ सकते हैं।

विभेदित अनुदेशन में शिक्षक पहचानना सीखना है कि प्रत्येक बच्चे के साथ क्या कार्य करता है और वह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण पद्धति में समूह में प्रत्येक बच्चे को साथ जोड़ने तथा लाभान्वित होने के लिये गतिविधियाँ तथा विषयवस्तु हों।

21.2.2 सहकारी शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ

सहकारी अधिगम में एक साझा अधिगम लक्ष्य या कार्य के अर्जन हेतु एक से अधिक बच्चों का एक साथ कार्य करना सम्मिलित है। सहकारी अधिगम छोटी मिश्रित-योग्यता अधिगम टोलियों में बच्चों के समूहीकरण का एक साधन है। समूह समस्या के हल अथवा पूर्णता हेतु प्रस्तुत किया जाता है। फिर बच्चे समूह में एक-दूसरे के बीच कार्य करते हैं, कार्य पूरा करने में एक-दूसरे की सहायता करते हैं और एक समूह निष्पादन प्राप्तांक प्राप्त करते हैं। बच्चे छोटे समूहों में कार्य करते हैं और कार्य को सीखने में एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। शिक्षक की भूमिका बच्चों के बीच सहकारी अन्योग्याश्रितता को बढ़ावा देने की है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये सहकारी अधिगम रणनीतियों के कई लाभ हैं। जो कि हैं–

- कक्षाकक्ष की गतिविधियों में सक्रिय संलग्नता।
- बच्चे अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक विचार व्यक्त करते हैं।
- प्रमाणित तथा रचनात्मक प्रतिपुष्टि की प्राप्ति।
- प्रश्नोत्तर प्रविधियों में संलग्नता।
- अन्य बच्चों के साथ बढ़ते हुए अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों का आनन्द लेना।
- बेहतर आत्म-सम्मान का विकास।
- व्यक्तिगत जवाबदेही बनाये रखते हुए टोली उपागम का उपयोग।
- विविधता को समझने तथा सराहना करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

- उद्दीपित आलोचनात्मक चिन्तन द्वारा विचारों को स्पष्ट करना।
- स्व-प्रबन्धन कौशलों में वृद्धि।
- साथियों द्वारा समस्या-समाधान तकनीकों का निरीक्षण तथा सीखना।
- कौशलों पर अतिरिक्त अभ्यास की प्राप्ति तथा
- प्रतिक्रिया के अवसरों में वृद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त जब बच्चे परिचर्चा के दौरान जोर से सोच रहे होते हैं तब शिक्षक बच्चों तथा समूह की जरूरतों का आकलन करने में तथा आवश्यकता होने पर हस्तक्षेप करने में अच्छी तरह से सक्षम हो जाते हैं। बच्चों के अधिगम की सक्रिय देख-रेख द्वारा शिक्षक समूहों को अधिगम कार्यों के प्रति पुनः निर्देशित करने तथा परिचर्चा के दौरान पुनः शिक्षण प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं।

प्री-स्कूल में सहकारी अधिगम पर आधारित कार्य के आयोजन की विधि

कार्य : दिये गये चित्र को रंगना।

पारम्परिक अधिगम उपागम : प्रत्येक बच्चे को एक शीट और रंगने के लिये क्रेयान दिये जायेंगे। बच्चे व्यक्तिगत रूप से कार्य को पूरा करते हैं और प्रतिपुष्टि हेतु शिक्षक के पास जमा करते हैं।

सहकारी अधिगम उपागम : विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को छोटे समूहों में विभाजित किया जायेगा। पाँच बच्चों का एक समूह हो सकता है। प्रत्येक समूह को एक गोले में बैठने के लिये कहा जाता है। प्रत्येक बच्चे को रंगने की एक शीट दी जाती है। प्रत्येक समूह को दो पैकेट क्रेयान दिये जाते हैं। एक पैकेट में 12 क्रेयान होते हैं। बच्चों से शीट को रंगने तथा रंगने में एक-दूसरे की सहायता करने को कहा जाता है। समूह का एक साथ शीट्स जमा करना जरूरी है।

➢ उपर्युक्त कार्य का विचार करें:

i) क्या बच्चे कार्य में सहयोग कर रहे हैं?

ii) कैसे?

➢ जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है:

i) दो से अधिक बच्चे एक ही समय में समान क्रेयान के उपयोग की इच्छा रख सकते हैं।

ii) बच्चे एक-दूसरे की शीट्स पर लिख सकते हैं।

iii) जल्दी कार्य पूरा करने वाला बच्चा अन्य बच्चे की चित्रकारी को पूरा करना चाह सकता है।

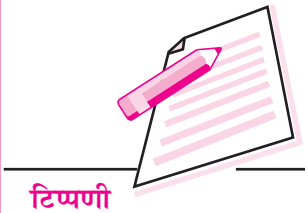

टिप्पणी

समूह में सम्मिलित करना तथा आदर देना, समावेश की भावना को दर्शाता है और कक्षाकक्ष को एक समुदाय के रूप में विकसित करता है। उदाहरण के लिये, वाक् शक्ति के ह्रास वाला बच्चा या बच्ची एक समूह के सदस्य के रूप में अन्य व्यक्तियों के सामने हाव-भाव के द्वारा अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक तथा विश्वास के साथ स्वयं को अभिव्यक्त करना सीख सकता है। और उसके सम्प्रेषण कौशलों में सुधार हो सकता है। इसी प्रकार समूह के अन्य सदस्य उसे समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार करना सीख सकते हैं और उसे अन्य गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। समूह में एक साथ कार्य के द्वारा सहकारी अधिगम सहिष्णुता, स्वीकृति और तदनुभूति को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है।

दोनों उपागमों की तुलना	
परम्परागत उपागम	**सहकारी अधिगम उपागम**
एक शान्त कक्षा एक अच्छी कक्षा है	अधिगम में स्वस्थ ध्वनि समाहित है
यह एक स्वतन्त्र कार्य है	यह सहयोगात्मक सामूहिक कार्य है
अपनी निगाह अपने कागज पर रखें	सहयोग के लिये अपने साथी से पूछें
शान्त बैठिये	उठिये और देखिये कि अन्य क्या कर रहे हैं
बात करना नकल है	बात करना अधिगम है

21.2.3 सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति

सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति एक शिक्षण विधि है जिसमें बच्चे एक दत्तकार्य पर एक साथ कार्य करते हैं। इस विधि में बच्चे एक बड़े दत्तकार्य का एक छोटा भाग व्यक्तिगत रूप से पूरा कर सकते हैं तथा फिर अन्तिम कार्य को एक टोली के रूप में एक साथ एकत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत अधिगम शैली के अनुरूप कार्य हेतु स्वतन्त्र होता है। सहयोगात्मक शिक्षण सहकरी शिक्षण में कभी-कभी भ्रम होता है जो कि एक विधि है जिसमें बच्चे एक संरचित गतिविधि हेतु छोटे समूहों में एक साथ कार्य करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम बच्चे व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य तथा समग्र के कार्य के प्रति भी जवाबदेह होते हैं जहाँ दोनों अन्तिम उत्पादों का आकलन किया जाता है।

21.2.3.1 सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति की विशेषताएँ

सहयोग में समता : प्रत्येक बच्चे के योगदान को समान रूप से महत्व दिया जाता है तथा बच्चों को निर्णय लेने का समान अधिकार होता है।

स्वैच्छिक-सहयोगात्मक सम्बन्ध : ये सर्वाधिक रूप से तब सफल होते हैं जब बच्चे स्वतन्त्र रूप से इसमें प्रवेश करते हैं और इच्छा से बने रहते हैं।

पारस्परिक लक्ष्य : सहयोग किसी लक्ष्य, समस्या या आवश्यकता के जवाब में होता है जो कि बच्चों द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाए। इन लक्ष्यों पर सभी प्रतिभागियों की सहमति होनी चाहिए।

टिप्पणी

साझा उत्तरदायित्व : प्रतिभागी निर्णय लेने मे उत्तरदायित्वों को साझा करते हैं।

साझा जवाबदेही : अपने कार्य के परिणाम हेतु प्रतिभागी समान रूप से जवाबदेह होते हैं।

साझा संसाधन : प्रतिभागी सामग्री तथा मानव संसाधनों को साझा करते हैं।

21.2.3.2 सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति के लाभ

इस अभ्यास के कुछ लाभ हैं–

- समूह के सभी सदस्यों की विशेषज्ञता से सभी बच्चे लाभन्वित होते हैं।
- यह नेतृत्व और उत्तरदायित्व का विकास करता है।
- बच्चे एक-दूसरे से सीख सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं।
- अनुदेशन योग्यता के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखता है।
- यह कक्षाकक्ष में सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता को सुविधाजनक बनाता है।
- समुचित योजना सभी बच्चों के सक्रिय अधिगम को सुनिश्चित करती है।
- बच्चों का आकलन व्यक्तिगत निष्पादन साथ ही साथ सामूहिक निष्पादन के आधार पर किया जाता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि टीमों को प्रभावी ढंग से कार्य करना है तो विश्वास का वातावरण अपरिहार्य है।

सहयोगात्मक विधि

कक्षा के लिये एक बड़े पेड़ का पोस्टर

शिक्षक बच्चों के लिये आवश्यक कला-सामग्री प्रस्तुत करता है।

शिक्षक उन्हें कक्षा में टाँगने के लिये एक बड़े पेड़ का पोस्टर बनाने के लिये कहता है।

शिक्षक परिचर्चा की शुरुआत करता है कि प्रत्येक बच्चा पेड़ के किस भाग पर तना, शाखाएँ, पत्तियाँ, फल/फूल बनायेगा और रंग करेगा।

पेड़ के चित्र को पूरा करने के लिये इस गतिविधि में कार्यरत बच्चे निर्धारित या फिर स्वयं द्वारा चयनित भूमिका में होंगे।

कार्य का मूल्यांकन होगा :

- व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर
- सामूहिक निष्पादन के आधार पर

21.2.4 साथी शिक्षण

साथी शिक्षण से तात्पर्य बच्चों को बच्चों के पढ़ाने से है। एक साथी शिक्षक वह है जिसका स्तर पढ़ाये जाने वाले व्यक्ति के समान होता है। साथी शिक्षण में शिक्षक तथा अध्ययनकर्ता दोनों

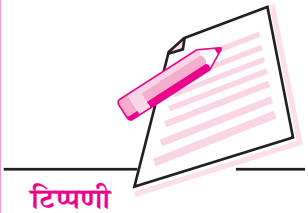

टिप्पणी

एक ही वर्ग के होते हैं और शिक्षक साथी-अध्ययनकर्ता की सहायता करता है। इस सम्बन्ध में शिक्षक और अध्ययनकर्ता दोनों के लिये ही कई लाभ हैं। एक साथी-शिक्षक साथी-अध्ययनकर्ता से जिस ढंग से सम्बन्ध स्थापित कर सकता है उस ढंग से शिक्षक नहीं कर सकता। एक बच्चा जो किसी शैक्षणिक कौशल को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, वह शौक या रुचियों से सम्बन्धित कौशलों जैसे कि सिक्के इकट्ठे करना, टिकट इकट्ठे करना या अन्य कोई सृजनात्मक कला गतिविधि, को पढ़ा सकता है। साथी शिक्षक किसी भी कार्य के आकलन में सम्मिलित नहीं होता। औपचारिक स्थितियों में यह रणनीति बड़े बच्चों के साथ अधिक प्रभावी होती है।

21.2.4.1 साथी शिक्षण के लाभ

साथी शिक्षण के कुछ लाभ हैं–

- जो बच्चे वयस्कों के पढ़ाने पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते उनको पढ़ाने के लिये साथी शिक्षण प्रायः अधिक प्रभावी होता है।
- यह शिक्षक और अध्ययनकर्ता के मध्य मित्रता को विकसित करता है।
- शिक्षक अन्य बच्चों को पढ़ाने में स्वयं लाभान्वित होते हैं क्योंकि अन्य बच्चों को पढ़ाते समय वे अपने अधिगम का अभ्यास करते हैं।

21.2.5 आकलन

आकलन में निरीक्षण, सूचनाओं का एकत्रीकरण और उनके आधार पर निर्णय लेना सम्मिलित है। इसमें यह पता लगाना शामिल है कि बच्चा क्या जानता है, क्या समझता है और क्या कर सकता है। आकलन सतत होता है। यह निदानात्मक हो सकता है क्योंकि यह बच्चे के सामर्थ्य के क्षेत्र के बारे में सूचना प्रदान करता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहाँ आगे ध्यान देने की जरूरत है। एक समावेशी स्थिति में आकलन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला होना चाहिए तथा बच्चे की अधिगम शैली के अनुसार अपनाया जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, बच्चे की योग्यताओं के अनुसार कार्य की परिवर्तित प्रकृति, अतिरिक्त समय तथा आवश्यक सहायक संसाधन देना, आदि।

पाठगत प्रश्न 21.2

रिक्त स्थान भरिए–

(अ) ..... छोटे बच्चों के लिये व्यक्तिगत योजना तथा शिक्षण रणनीतियों से सम्बन्धित है।

(ब) ..... एक अनुदेशन विधि है जिसमें बच्चे एक दत्तकार्य पर एक साथ कार्य करते हैं।

(स) ..... अधिगम में प्रत्येक बच्चे के योगदान को समान रूप से महत्व दिया जाता है तथा बच्चों को निर्णय लेने का समान अधिकार होता है।

टिप्पणी

(द) ..... का वातावरण अपरिहार्य है यदि टीमों को प्रभावी ढंग से कार्य करना है।

(ई) साथी-शिक्षक अन्य बच्चों को पढ़ाने से ..... होते हैं क्योंकि अन्य बच्चों को पढ़ाते समय वे अपने अधिगम का अभ्यास करते हैं।

21.3 सरकार की भूमिका

दिव्यांगता के प्रति धर्मार्थ प्रतिमान से मानवाधिकार प्रतिमान तक का परिवर्तित हो रहा दृष्टिकोण नीति और तौर-तरीकों की विविधता के रूप में परिणत हुआ है। 1970 में विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताएँ [SEN (Special Educational Needs] वाले अधिगमकर्ताओं को नियमित विद्यालयों में शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा आईईडीसी योजना आरम्भ की गयी। 1990 में 92 सरकारों के प्रतिनिधियों ने सलामांका वक्तव्य एवं कार्य हेतु रूपरेखा को स्वीकार किया तथा 25 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के वास्तव में वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा हेतु नीतिगत एजेण्डा निर्धारित किया है।

21.3.1 महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव

(i) विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा का समावेशन, (आईडीसी) 1974 [Inclusion of Integrated Educion for Disabled Children (IEDC), 1974]

सरकार ने विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा [Integrated Education for Disabled Children (IEDC), 1974] की केन्द्र प्रायोजित योजना प्रारम्भ की। योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में दिव्यांग अधिगमकर्ताओं को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना तथा उनकी उपलब्धि एवं धारण (सीखी गयी सामग्री को मस्तिष्क में बनाये रखने की क्षमता) को सुगम बनाना था। आईईडीसी योजना दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिये प्रोत्साहन तथा हस्तक्षेपों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं इसकी कार्य योजना, 1992 [The National Policy on Education, (NPE), 1986 and its Plan of Action, (POA) 1992]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कहा गया है कि कम दिव्यांगता वाले बच्चों को मुख्यधारा की कक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए जबकि औसत से गम्भीर दिव्यांगता वाले बच्चों को पृथक् विद्यालयों में रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समानता के मुद्दे को केन्द्र में लायी। विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने के लिये कार्य योजना एक व्यावहारिक सिद्धान्त का सुझाव देती है कि जिन बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जा सकता है उन्हें विशिष्ट विद्यालयों के स्थान पर सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षित किया जाए। शारीरिक तथा मानसिक विकलांगों को सामान्य समुदाय के साथ सहभागी के रूप में एकीकृत करने, उनको सामान्य वृद्धि के लिये तैयार करने और विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के उपायों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 विचार करती है।

(iii) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 [The RCI Act, 1992]

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 पुनर्वास वृत्तिकों हेतु मानक प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों के शिक्षण के लिये विशेष शिक्षा के प्रशिक्षित

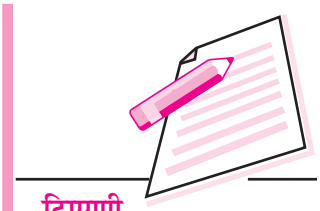

टिप्पणी

शिक्षकों हेतु मानक तय करता है। आरसीआई अधिनियम पूरी तरह से दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये श्रमशक्ति के विकास से सम्बन्धित है।

(iv) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 [The National Trust Act 1999]

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दबुद्धि तथा बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास), 1999 एक ऐतिहासिक कानून है जो दिव्यांगता के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तथा अन्यों की तुलना में और अधिक हाशिये पर जो लोग हैं, उन व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। पूर्ण देखभाल प्रदान करने तथा न्यास द्वारा उत्तरदान की गयी सम्पत्तियों के प्रबन्ध के उद्देश्य से इसका मुख्य निर्णय दिव्यांगजनों के लिये व्यक्तियों का एक निकाय बनाना है।

(v) विकलांगों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2006 [National Policy for Persons with Diabilities, 2006]

इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा फरवरी, 2006 में जारी किया गया था। नीति के अनुसार 2020 तक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक प्रत्येक बच्चे की पहुँचे होनी चाहिए। कक्षा की मुख्य धारा में इन बच्चों को शामिल करने के लिये इन साधनों के उपयोग के उद्देश्य से कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों को ''पुस्तकों, विद्यालयी वेशभूषा, परिवहन, विशेष उपकरणों एवं साधनों के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करता है।'' यह इस पर भी बल देता है कि छः वर्ष तक की आयु के बच्चे की जल्दी से जल्दी पहचान की जा सकती है और आवश्यक हस्तक्षेपों को तत्काल दिया जा सकता है। जिससे कि वे सही उम्र पर समावेशी शिक्षा में शामिल होने में सक्षम हों।

(vi) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 [Right to Education (RTE) Act, 2009]

आरटीई अधिनियम वंचित समूहों एवं कमजोर वर्गों के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव से उनका संरक्षण करता है तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करता है।

यह दिव्यांगता-विशिष्ट नहीं है लेकिन विशिष्ट वर्गों के सभी दिव्यांग बच्चों के लिये समावेशी है जो दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों पर ध्यान देता है।

(vii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 [The Rights of Persons with Diabilities Act, 2016]

यह अधिनियम विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) का स्थान लेता है। यह विकलांग व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र समझौते के इकरारनामे को पूर्ण करता है जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं। यह अधिनियम दिसम्बर, 2016 में अस्तित्व में आया।

दिव्यांगता के मौजूदा सात प्रकारों को बढ़ाकर इक्कीस कर दिया गया है तथा केन्द्र सरकार के पास दिव्यांगता के और अधिक प्रकारों को जोड़ने की शक्ति होगी। अधिनियम सम्मिलित करता है।

21 दिव्यांगताएँ : अंधता, निम्न दृष्टि, कुष्ठरोग मुक्ति व्यक्ति, श्रवण शक्ति का ह्रास (बधिर तथा ऊँचा सूनने वाला व्यक्ति), गतिविषयक दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार, प्रमस्तिष्क घात, पेशीय दुष्पोषण, चिरकारी तन्त्रिका दशाएँ, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताएँ, बहु स्केलेरोसिस, वाक् और भाषा दिव्यांगता, थेलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिक्कल कोशिका रोग, बधिर अन्धता सहित बहुदिव्यांगता, तेजाबी आक्रमण पीड़ित, पार्किन्सन रोग।

6 से 18 आयु वर्ग के मध्य के प्रत्येक बच्चे को, जो न्यूनतम मानदण्ड दिव्यांगता के साथ है, नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान अपने अधिकारों का लाभ ले सकें, इसकी सुनिश्चितता हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिये समुचित सरकारों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

पाठगत प्रश्न 21.3

निम्नलिखित के पूर्ण नाम लिखिए–

(अ) आईईडीसी (IEDC) : .....

(ब) पीडब्लूडी (PWD) : .....

(स) आरटीई (RTE) : .....

(द) पीओए (POA) : .....

(ई) आरसीआई (RCI) : .....

(फ) सीडब्लूएसएन (CWSN) : .....

(ग) एनपीई (NPE) : .....

21.4 समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन में शिक्षक, प्रबन्धन, माता-पिता और समुदाय की भूमिका

विद्यालय जाने वाली आयु के सभी बच्चों को, चाहे उनके जो भी सामर्थ्य हो, कमजोरी हो, प्रतिभा या दिव्यांगता हो, स्वीकार करने वाला विद्यालय एक समावेशी विद्यालय है।

समावेशी शिक्षा दर्शनशास्त्र तथा शिक्षाशास्त्रीय अभ्यासों का एक संयोजन है जो सभी बच्चों को सम्मानित, विश्वस्त तथा सुरक्षित महसूस करने की अनुमति देता है जिससे कि वे अपनी पूर्ण

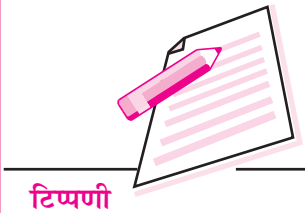

टिप्पणी

क्षमता तक सीख सकें और विकसित हो सकें। यह बच्चों के सर्वोत्तम हितों पर केन्द्रित मूल्यों एवं विश्वासों की प्रणाली पर आधारित है। समावेशी शिक्षा को विद्यालयी समुदायों के अन्तर्गत व्यवहार में लाया जाता है जो विविधता को महत्व देती है और प्रत्येक बच्चे के कल्याण और गुणवत्तापूर्ण अधिगम का पोषण करती है। समावेशी शिक्षा इस बात का समर्थन करती है कि सभी बच्चों को उनके घर के पास उपलब्ध विद्यालय में एक साथ अध्ययन करना चाहिए।

21.4.1 ईसीसीई शिक्षकों, प्रबन्धन एवं अन्य कार्यकर्ताओं की भूमिका

अधिगम की स्थितियों में समावेशन के प्रोत्साहन में सहायता हेतु सभी हितधारकों के योगदान एवं सहयोग की जरूरत है। प्रत्येक को अपनी भूमिकाओं और अपेक्षाओं के प्रति सचेत होना चाहिए। आइए जानें कि विभिन्न हितधारक समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं।

अ) ईसीसीई शिक्षकों की भूमिका

1. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की प्रारंभिक पहचान।
2. बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवदेनशील होना और आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
3. सभी बच्चों की आवश्यकताओं को शामिल करते हुए पाठ्यचर्या का नियोजन तथा संशोधन करना।
4. प्रारंभिक पहचान के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को संवेदनशील बनाना।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का किस प्रकार सहयोग करें, इसके बारे में परामर्श देना तथा इसकी रणनीतियों को साझा करना।
6. समाज के अन्य सदस्यों को शामिल करके सहयोगी वातावरण तैयार करना।
7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये केन्द्र को सुलभ बनाना।
8. बच्चे की योग्यता के अनुरूप गतिविधियों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
9. अन्य हितधारकों के साथ साझा करने के लिये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विषयी केस प्रोफाइल तैयार करना।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सरकारी नीतियों और कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु भेजना।
11. औपचारिक विद्यालयों के सहयोग को विस्तारित करना जिससे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नये शिक्षकों, विद्यालयी वातावरण के साथ समायोजन कर पाएं तथा नये शिक्षक एवं विद्यालय सफल और सुचारु अवस्थान्तरण में समर्थ बन पाएं।

टिप्पणी

ब) प्रबन्धन की भूमिका

प्रबन्धन का सहयोग अनिवार्य रूप से निम्नलिखित के रूप में हो-

1. सभी बच्चों के लिये केन्द्र को सुलभ बनाना।
2. परिसर को अधिगमकर्ता के अनुकूल रखना।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना।
4. सकारात्मक तथा सहयोगी रवैया रखना।
5. समावेशी तथा आवश्यकता पर आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करने के लिये आवश्यक सामग्री तथा सहयोग प्रदान करना।
6. वाक्-चिकित्सक, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक जैसी व्यावसायिक सेवाओं की व्यवस्था करना।
7. पहचान एवं आकलन शिविरों का आयोजन करना, आदि।

स) माता-पिता की भूमिका

समावेशी ईसीसीई केन्द्र को सफल बनाने में माता-पिता का सहयोग निम्नलिखित कार्यों के द्वारा आवश्यक है :

1. ईसीसीई केन्द्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन में सहयोग प्रदान करना।
2. यह महसूस करना कि दिव्यांग बालिकाओं के भी समान अधिकार हैं और उनकी क्षमता को विकसित करने के लिये अवसरों की जरूरत है। अतः उन्हें निकटस्थ प्री-स्कूल ईसीसीई केन्द्र में नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सफलता की कथाओं को साझा करना जिससे कि अभिप्रेरणा का स्तर ऊँचा बना रहे।
4. ईसीसीई शिक्षकों द्वारा निर्धारित किये गये या सुझाए गए चिकित्सकों या विशेष शिक्षा केन्द्रों पर जाना।
5. माता-पिता स्थापित कर सकते हैं-
   - पारिवारिक नैतिक सहायता समूह
   - शिक्षा सहायता समूह
6. विद्यालय के सहयोग के लिये देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु स्वेच्छा से अपनी सेवा देना।

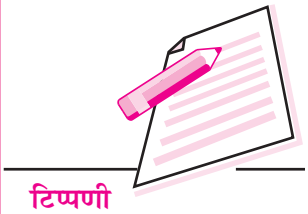

टिप्पणी

अन्य कार्यकर्ताओं में सहायक या आया, प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग, चपरासी, गेटकीपर और समाज का कोई अन्य स्वयंसेवक शामिल हैं जो केन्द्र के सुचारु संचालन में सहायता करते हैं। वे भी इन बच्चों के बारे में संवेदनशील बनाये जा सकते हैं और तदनुसार योगदान दे सकते हैं।

गतिविधि 21.1

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के घर जाएं तथा पता कीजिए–

अ) माता-पिता की उनके बच्चे की दिव्यांगता के बारे में समझ और उसे सम्भालने के सम्भावित तरीके।

ब) बच्चे के लिये पास-पड़ोस में उपलब्ध कोई विशिष्ट संसाधन तथा सुविधाएं।

द) समुदाय की भूमिका

सामुदायिक सदस्यों में माता-पिता, पंचायत सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति प्रीस्कूल प्रबन्ध समिति के सदस्य, स्थानीय प्रशासन एवं प्राधिकारी सम्मिलित हैं।

ये निम्नलिखित कार्यों के द्वारा विशेष आवश्कता वाले बच्चों के समावेशन में सहायता कर सकते हैं–

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन को प्रोत्साहन देना।
- विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के नामांकन पर बल देना।
- जागरूकता लाकर, माता-पिता को प्रेरित करके तथा आवश्यक सहायता प्रदान करके उनके विद्यालय छोड़ने की दर को रोकना।
- जागरूकता एवं पहचान शिविरों को आयोजन करना।
- मानवीय तथा गैरमानवीय सहायता संसाधनों का संगठन करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सफलता की कहानियों को साझा करना।
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद निकटस्थ औपचारिक नियमित विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन को सुनिश्चित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की योग्यता तथा प्रतिभा पर विश्वास रखना।

पाठगत प्रश्न 21.4

स्तम्भ 'अ' तथा स्तम्भ 'ब' से सही मिलान कीजिए–

स्तम्भ (अ)	स्तम्भ (ब)
(1) साथी शिक्षण	(अ) विशिष्ट आवश्यकता सम्बन्धी सेवाएँ

(2) समावेशी विद्यालय	(ब) पाठ्यक्रम का नियोजन एवं संशोधन
(3) बच्चे को भेजना	(स) सहायता संसाधनों का संगठन
(4) प्रबन्धन की भूमिका	(द) विशिष्ट शिक्षाशास्त्रीय अभ्यास
(5) शिक्षक की भूमिका	(ई) विद्यार्थी-विद्यार्थी

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा :

- समावेशी शिक्षा की अवधारणा और महत्व
- समावेशी शिक्षा के लाभ
- समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ
- विभेदित अनुदेशन
- सहकारी अधिगम रणनीति की विशेषताएँ, महत्व एवं लाभ
- सहयोगात्मक अधिगम रणनीति की विशेषताएँ, महत्व एवं लाभ
- साथी शिक्षण विशेषताएँ एवं लाभ
- समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन में सरकार की भूमिका
- महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव
  - विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा का समावेशन, (आईडीसी) 1974 [Inclusion of Integrated Education for Disabled Children (IEDC), 1974]
  - राष्ट्रीय शिक्षा की नीति, 1986 एवं इसकी कार्य योजना, 1992 [The National Policy on Education, (NPE) 1986 and its Plan of Action, (POA) 1992]
  - भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (The RCI Act, 1992)
  - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disabilities, Act, 2016)
  - राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (The National Trust Act 1999)
  - विकलांगों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2006 (National Policy for Persons with Disabilities 2006)
  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 [Right to Education (RTE) Act, 2009]
- समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन में शिक्षक, प्रबन्धन, माता-पिता और समुदाय की भूमिका

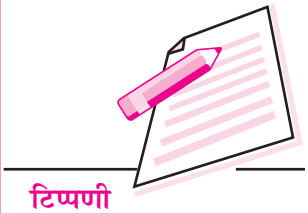

टिप्पणी

पाठान्त प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा के लाभों की सूची बनाइए।
2. सहकारी अधिगम सहयोगात्मक अधिगम तथा साथी शिक्षण के लाभ बताइए।
3. दिव्यांगजनों हेतु सरकारी अधिनियमों तथा नीतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
4. समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों तथा प्रबन्धन की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
5. ऐसे पाँच तरीके सुझाइए जिनसे समुदाय समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में सहयोग कर सकें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

21.1

(अ) सत्य

(ब) सत्य

(स) असत्य

(द) सत्य

(ई) असत्य

21.2

(अ) विभेदित अनुदेशन

(ब) सहयोगात्मक

(स) सहकारी

(द) विश्वास

(ई) लाभान्वित

21.3

(अ) विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा (Integrated Education for Disabled Children)

(ब) दिव्यांगजन (Persons with Disabilities)

(स) शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

(द) कार्य योजना (Plan of Action)

(ई) भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India)

(फ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (Children with Special Needs)

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा की नीति (The National Policy on Education)

21.4

(1) (ई)

(2) (द)

(3) (अ)

(4) (स)

(5) (ब)

सन्दर्भ

- Ministry of Human Resource Development (1986). The National Policy on Education, 1986. Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- Ministry of Human Resource Development. (2010). The Right to Education Act, 2009.Retrieved from https://mhrd.gov.in/rte
- Ministry of Social Justice and Empowerment. (2006). National Policy for Persons with Disabilities, 2006. Retrieved from http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/NationalPolicyForPersonswithDisabilities(1).pdffiles/National%20Trust%20Act%20-%20Englsih.pdf
- Ministry of Social Justice and Empowerment. (1999). The National Trust Act, 1999 Retrieved from http://thenationaltrust.gov.in/upload/uploadfiles/
- Ministry of Social Justice and Empowerment. (2016).The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Retrieved fromhttp://www.disabilityaffairs.gov.in/ upload/upload files/files/RPWD%20ACT% 202016.pd